रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1987/श्रावण 23, 1909
No. 414] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1987/SRAVANA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1987

आदेश

का.आ. 775(अ):—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि. (आई.ई.एल.) और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व फेडररेशन आफ आई.सी.आई. तथा एसोसिएटिड कंपनीज इम्पलाईज यूनियन, कलकत्ता करता है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त विवाद ऐसी प्रकृति का है जिसमें आई.ई.एल. के एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों की अभिरुचि होने या इस विवाद से प्रभावित होने की संभावना है,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद का राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्याय-निर्णयन किया जाना चाहिए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार (i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा और न्याय-मूर्ति श्री एम.एस. जामदार को इनका पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है, और

(ii) उक्त अधिकरण की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय निर्णयन के लिए उक्त राष्ट्रीय अधिकरण को निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

"क्या इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के प्रबंधतंत्र द्वारा देश में स्थित अपने सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए लागू मौजूदा पेंशन योजना को विनियमित करने वाले पेंशन फार्मूला को संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसके निर्धारण में निर्वाह लागत को एक कारक के रूप में नहीं माना गया है और क्या विभिन्न श्रेणियों के पेंशन-भोगियों पर इसे लागू करने में भेदभाव किया जाता है? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

[सं. एल-51015/8/86-आई.एण्ड ई (एस.एस.)]

हीरक घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th August, 1987

ORDER

S.O. 775(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the M/s. Indian Explosives Ltd. (IEL) and their workmen represented by the Federation of ICI and Associated Companies Employees Union, Calcutta, in respect of the specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas, the said industrial dispute is of such a nature that, the establishments of IEL situated in more than one State, are likely to be interested in or affected by such dispute;

And, whereas, the Central Government is of opinion that the said industrial dispute should be adjudicated by a National Tribunal.

Now, therefore, the Central Government :—

(i) in exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby, constitutes a National Tribunal with Headquarters at Bombay and appoints Justice Shri M. S. Jamdar as its Presiding Officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (IA) of section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Tribunal for adjudication.

SCHEDULE

"Whether the pension formula governing the present pension scheme introduced by the management of the Indian Explosives Limited for its employees in all its establishments in the country needs revision in so far as it does not take into account the cost of living as a factor in its determination and whether the scheme in the way it is being implemented is discriminatory in its application to different categories of pensioners. If so, what is the relief to which the workers are entitled ?"

[No. L-51015/8/86-I&E (SS)]

HIRAK GHOSH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987